## प्रेस नोट दिनांक 23.08.2026

### थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा "मारपीट एवं हत्या के प्रयास" के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 अदद लकड़ी की पटरी (फट्टे) एवं 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत चौपई पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 21.08.2026 को वादी द्वारा थाना दिलीपपुर पर तहरीर दी गई कि उसके भांजे मो0 सादाब पुत्र गुलहसन निवासी ग्राम गोलापुर, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को मुकदमे की पैरवी हेतु प्रतापगढ़ जाते समय ग्राम गनईडीह के पास लाल रंग की स्विफ्ट कार सवार अभियुक्तगण द्वारा ओवरटेक कर रोक लिया गया तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। फायर से बचकर भागने के दौरान सादाब के गिर जाने पर अभियुक्तगण द्वारा लाठी-डण्डे/लकड़ी की पटरी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। प्रकरण में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 189/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 131, 3(5), 109(1), 126(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कांत सत्यार्थी थाना दिलीपपुर के नेतृत्व में उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हमराह का0 आशीष कुमार एवं रि0का0 अवनीश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारंटी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त नवाब अली उर्फ फुल्लन पुत्र जमील निवासी ग्राम यहियापुर, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 62 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत चौपई पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अदद लकड़ी की पटरी (फट्टे) एवं घटनास्थल के पास से 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. नवाब अली उर्फ फुल्लन पुत्र जमील, निवासी ग्राम यहियापुर, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 62 वर्ष।

अपराधिक इतिहास नवाब अली उर्फ फुल्लन

1. मु0अ0सं0 65/17 धारा 147/148/149/307/323/504/506आईपीसी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 189/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 131, 3(5), 109(1), 126(2) बीएनएस, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
02 अदद लकड़ी की पटरी (फट्टे)।
01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम-
उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हमराह का0 आशीष कुमार एवं रि0का0 अवनीश कुमार, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

**थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।**

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 04 अदद अवैध देशी बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 04 अदद अवैध देशी बम के साथ 01 अभियुक्त संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को ग्राम जामताली क्षेत्रान्तर्गत जरगोई नाले के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद अवैध देशी बम बरामद हुए, जिन्हें पुलिस द्वारा सावधानीपूर्वक निष्क्रिय किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार थाना रानीगंज के नेतृत्व में उ0नि0 कामता प्रसाद सिंह मय हमराह उ0नि0 शिवेन्द्र कुमार यादव, का0 सन्तोष कुमार, रि0का0 आकाश पाण्डेय, रि0का0 विकास कुमार एवं रि0का0 नीरज कांत पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की तलाश के दौरान ग्राम जामताली क्षेत्रान्तर्गत जरगोई नाले के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेरघार कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम संजय कुमार पुत्र स्व0 राम अजोर निवासी ग्राम जामताली, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष बताया। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के हैंडल में टंगे सफेद

झोले से काली पन्नी में अखबारी कागज में लिपटे 04 अदद अवैध देशी बम बरामद हुए। अभियुक्त द्वारा उक्त बम रखने के संबंध में कोई वैध लाइसेंस/अनुमति प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

उक्त बरामदगी के संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 422/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-1908 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. संजय कुमार पुत्र स्व0 राम अजोर निवासी ग्राम जामताली, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग-
मु0अ0सं0 422/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-1908, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
04 अदद अवैध देशी बम।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 कामता प्रसाद सिंह मय हमराह उ0नि0 शिवेन्द्र कुमार यादव, का0 सन्तोष कुमार, रि0का0 आकाश पाण्डेय, रि0का0 विकास कुमार एवं रि0का0 नीरज कांत पाल, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

**थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।**

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 प्रशांत कुमार मय हमराह हे0का0 कुलदीप सिंह, का0 मलखान, रि0का0 मनोज कुमार एवं रि0म0का0 रुचि द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी।

इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अन्तर्गत धारा 65(1)/351(3) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित 01 बाल अपचारी को थाना क्षेत्रान्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय से भगवा चौराहे की ओर जाने वाली सड़क से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए बाल अपचारी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस टीम-
उ0नि0 प्रशांत कुमार मय हमराह हे0का0 कुलदीप सिंह, का0 मलखान, रि0का0 मनोज कुमार एवं रि0म0का0 रुचि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा विभिन्न अभियोगों में न्यायालय से जारी NBW के अनुपालन में 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा ई-सम्मन पोर्टल से प्राप्त माननीय न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट (NBW) के अनुपालन में उ0नि0 अंशु सिंह सेंगर मय हमराह का0 विक्रम सिंह एवं रि0का0 अरुण कुमार द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के दौरान अभियुक्त कमलेश कुमार पटेल पुत्र सरजू पटेल, निवासी ग्राम लाला का पुरवा, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष को संबंधित क्रिमिनल केस 181/2020, मु0अ0सं0 184/2018 धारा 138 विद्युत अधिनियम में जारी NBW के अनुपालन में संग्रामगढ़ बाजार स्थित गुमटी से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में अभियुक्त हीरालाल पटेल पुत्र सरजू पटेल, निवासी ग्राम बावलिया, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 65 वर्ष को संबंधित क्रिमिनल केस 1815/2021, मु0अ0सं0 81/85 धारा 380/411 भादवि एवं क्रिमिनल केस 3617/2020, मु0अ0सं0 48/91 धारा 399/401 भादवि में जारी NBW के अनुपालन में उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-
1-कमलेश कुमार पटेल पुत्र सरजू पटेल, निवासी ग्राम लाला का पुरवा, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष।
2-हीरालाल पटेल पुत्र सरजू पटेल, निवासी ग्राम बावलिया, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 65 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अंशु सिंह सेंगर मय हमराह का0 विक्रम सिंह एवं रि0का0 अरुण कुमार, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।